

12 सितंबर, 2018 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 84वीं बैठक का कार्यवृत्त

विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की चौरासिवीं (84वीं) बैठक डा.अनूप वधावन, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 12 जून, 2018 को दोपहर 12:00 बजे कमरा नंबर 108, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई। प्रतिभागियों की सूची (अनुबंध 1) के रूप में संलग्न है।

मद संख्या 84.1 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध (3 प्रस्ताव)

14 सितंबर 2012 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड में समान मामलों की जांच की तथा निम्नानुसार टिप्पणी की :

"अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त को 5वें साल के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की तभी सिफारिश करने की सलाह दी कि विकासक द्वारा परियोजना के प्रचालन के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं और वैधता अवधि पुनः बढ़ाया जाना उचित कारणों पर आधारित है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी कहा कि नेमी मामले के रूप में विस्तार प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि विकासक द्वारा जमीनी स्तर पर कुछ प्रगति न की गई हो। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि की समाप्ति की तिथि से औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल की अवधि के लिए 5वें साल के बाद तथा 6 माह की अवधि के लिए छठे वर्ष के बाद बढ़ाने के अनुरोधों को मंजूरी प्रदान की।"

(iv) प्लॉट नंबर 8, सेक्टर 144, नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 02 सितंबर, 2018 के बाद पुनः बढ़ाने के लिए मैसर्स गोल्डन टावर इनफोटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि प्रस्ताव पर फाइल पर विचार किया जाए।

84.1 (ii) ग्राम बेहरामपुर, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 13 नवंबर, 2018 के बाद पुनः बढ़ाने के लिए मैसर्स जीपी रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

84.12 (i) एनसीएलटी, चंडीगढ़ द्वारा आदेश दिनांक 11 जुलाई 2018 के माध्यम से संयुक्त व्यवस्था योजना के अनुमोदन के अनुसरण में शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के साथ मैसर्स जीपी रियाल्टर्स 1 प्राइवेट लिमिटेड के नाम में औपचारिक अनुमोदन के अंतरण तथा मैसर्स जीपी रियाल्टर्स 1 प्राइवेट लिमिटेड का नाम बदलकर आईटीपीजी डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए मैसर्स जीपी रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड जो ग्राम बहरामपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं आईटी / आईटीईएस एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि प्रस्ताव पर फाइल पर विचार किया जाए।

84.1 (vi) ग्राम हिंजेवाड़ी और मान, तालुका मुलशी, पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 अगस्त, 2017 के बाद पुनः बढ़ाने तथा विकासक संस्था की शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स कुमार बिल्डर्स टाउनशिप वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

12 सितंबर, 2018 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 84वीं बैठक का कार्यवृत्त

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि प्रस्ताव पर फाइल पर विचार किया जाए।

मद संख्या 84.2 : तीसरे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध (7 प्रस्ताव)

84.2 (i) 6 माह की अगली अवधि के लिए अर्थात् 12 दिसंबर, 2018 तक मंजूरी पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स क्यू3 इंडोटेक प्राइवेट लिमिटेड जो ग्राम कलवारा, तहसील सांगनेर, जयपुर में महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड के बहु उत्पाद एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 12 दिसंबर, 2018 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

84.2 (ii) 15 सितंबर, 2018 के बाद 15 सितंबर, 2019 तक एक साल के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स जेबीएफ पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड जो मंगलौर, बंगलौर में मैसर्स मंगलौर (बहु उत्पाद) एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 15 सितंबर, 2019 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

84.2 (iii) 27 जुलाई, 2018 के बाद 27 जुलाई, 2019 तक एक साल के लिए अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स टेंपल पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड जो इंदौर एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 27 जुलाई, 2019 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

84.2 (iv) छठे वर्ष के बाद एक साल के लिए 7 सितंबर 2019 तक मंजूरी पत्र (एलओए) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स बेंजो केम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड जो ग्राम लखीगाम, तालुक वागरा, जिला भडूच, गुजरात में दाहेज एसईजेड भाग 2 में प्लॉट नंबर जेड / 103 / डी पर स्थापित यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 7 सितंबर, 2019 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

84.2 (v) तीसरे वर्ष के बाद 18 माह के लिए 15 अप्रैल 2019 तक मंजूरी पत्र (एलओए) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स आना इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड जो दाहेज एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 15 अप्रैल, 2019 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

84.2 (vi) 11 सितंबर, 2018 के बाद 11 सितंबर, 2019 तक अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स पी मित्तल मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड जो नोएडा एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 11 सितंबर, 2019 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

84.2 (vii) 17 मई, 2012 से प्रभावी 5 साल के ब्लाक की अवधि को एक साल के लिए अर्थात् 16 मई, 2019 तक बढ़ाने के लिए मैसर्स हेलियोस फोटो वाल्टिक लिमिटेड जो 66 बी, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में मैसर्स मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड के गैर परंपरागत ऊर्जा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया गया कि अनुमोदन बोर्ड ने समान परिस्थितियों में 16 मई, 2018 तक एलओए की वैधता अवधि बढ़ाई है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने 16 मई, 2019 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 84.3 : सह विकासक के लिए अनुरोध (1 प्रस्ताव)

84.3 (i) पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स काकीनाडा एसईजेड लिमिटेड के बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स वाट्टेन टेरोस टेक्निक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन काकीनाडा एसईजेड में जलापूर्ति प्रणाली की डिजाइन, विकास, निर्माण, प्रापण, स्थापना, प्रचालन, प्रबंधन एवं अनुरक्षण के लिए सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स वाट्टेन टेरोस टेक्निक प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की परंतु यह कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

मद संख्या 84.4 : एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रस्ताव (एक प्रस्ताव)

84.4 (i) ग्राम ऐनोवोलू, अमरावती राजधानी शहर, आंध्र प्रदेश में 21.48 हेक्टेयर (53.10 एकड़) के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स आंध्र प्रदेश रीजन डवलपमेंट अथारिटी (एपीसीआरडीए) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम ऐनोवोलू, अमरावती राजधानी शहर, आंध्र प्रदेश में 21.48 हेक्टेयर (53.10 एकड़) के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 84.5 : शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन / नाम में परिवर्तन / विलय / डिमर्जर के मामले (12 प्रस्ताव)

84.5 (i) कंपनी का नाम बदलकर जीटीवी फेज 1 प्राइवेट लिमिटेड करने तथा कंपनी की शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स डा. फ्रेश हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड जो ग्राम घमरोज, तहसील सोहना, गुड़गांव - सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स जीटीवी टेक एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में डा. फ्रेश हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड) के आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक्स हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर एसईजेड का सह विकासक है, का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

- i) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

12 सितंबर, 2018 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 84वीं बैठक का कार्यवृत्त

- ii) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) सह विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

84.5 (ii) शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स सैंड्स इनफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड जो कोच्चि में स्मार्ट सिटी (कोच्चि) इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के एसईजेड का सह विकासक है, का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि प्रस्ताव में इस बात का उल्लेख नहीं है कि शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन संगत संविधियों के तहत अनुमोदित है या नहीं। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के साथ शेयर होल्डिंग के पैटर्न में ऐसे परिवर्तन के लिए संगत सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदन के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

- i) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) सह विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

84.5 (iii) नाम में परिवर्तन के लिए मैसर्स रिलायंस यूटिलिटीज एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड जो रिलायंस जामनगर विशेष आर्थिक क्षेत्र, जामनगर का सह विकासक है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

- i) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) सह विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

84.5 (iv) शेयर होल्डिंग के पैटर्न में 50 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन के लिए मैसर्स लोमा को-डवलपर्स 1 प्राइवेट लिमिटेड जो जी 4/1, टीटीसी औद्योगिक क्षेत्र, घनसोली, नवी मुंबई में लोमा आईटी पार्क के एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि प्रस्ताव में इस बात का उल्लेख नहीं है कि शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन संगत संविधियों के तहत अनुमोदित है या नहीं। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के साथ शेयर होल्डिंग के पैटर्न में ऐसे परिवर्तन के लिए संगत सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदन के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

- i) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।

12 सितंबर, 2018 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 84वीं बैठक का कार्यवृत्त

- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) सह विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

84.5 (v) शेयर होल्डिंग के पैटर्न में 50 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन के लिए मैसर्स लोमा को-डवलपर्स 2 प्राइवेट लिमिटेड जो जी 4/1, टीटीसी औद्योगिक क्षेत्र, घनसोली, नवी मुंबई में लोमा आईटी पार्क के एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि प्रस्ताव में इस बात का उल्लेख नहीं है कि शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन संगत संविधियों के तहत अनुमोदित है या नहीं। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के साथ शेयर होल्डिंग के पैटर्न में ऐसे परिवर्तन के लिए संगत सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदन के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

- i) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) सह विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

84.5 (vi) शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए प्लॉट नंबर 28, एमआईडीसी, राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, फेज-2, हिंजेवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में मैसर्स क्वाड्रोन बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि प्रस्ताव में इस बात का उल्लेख नहीं है कि शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन संगत संविधियों के तहत अनुमोदित है या नहीं। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के साथ शेयर होल्डिंग के पैटर्न में ऐसे परिवर्तन के लिए संगत सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदन के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

- i) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

12 सितंबर, 2018 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 84वीं बैठक का कार्यवृत्त

- ii) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

84.5 (vii) शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, फेज-1, हिंजेवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में मैसर्स क्यूबिक्स बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि प्रस्ताव में इस बात का उल्लेख नहीं है कि शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन संगत संविधियों के तहत अनुमोदित है या नहीं। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के साथ शेयर होल्डिंग के पैटर्न में ऐसे परिवर्तन के लिए संगत सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदन के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

- i) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

84.5 (viii) कंपनी की शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के लिए मैसर्स आक्सीजन बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड जो प्लाट नंबर 7, सेक्टर 144, नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि प्रस्ताव में इस बात का उल्लेख नहीं है कि शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन संगत संविधियों के तहत अनुमोदित है या नहीं। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के साथ शेयर होल्डिंग के पैटर्न में ऐसे परिवर्तन के लिए संगत सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदन के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

- i) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

84.5 (ix) नाम में परिवर्तन के लिए मैसर्स लोमा आईटी पार्क डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड जो जी-4/1, टीटीसी औद्योगिक क्षेत्र, घंसोली, नवी मुंबई में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

- i) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

12 सितंबर, 2018 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 84वीं बैठक का कार्यवृत्त

- vii) विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

84.5 (x) मैसर्स क्यूबिक्स बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड के एसईजेड में सह विकासक मैसर्स फ्लैगशिप डवलपर प्राइवेट लिमिटेड (एफडीपीएल) और मैसर्स वीआईटीपी प्राइवेट लिमिटेड (वीआईटीपीएल) एवं उनके शेयर धारकों के समामेलन की योजना के अनुसार विलय के अनुमोदन तथा एफडीपीएल से वीआईटीपीएल प्राइवेट लिमिटेड में विलय के बाद नाम में परिवर्तन के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

- i) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) सह विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

84.5 (xi) एनसीएलटी द्वारा जारी किए गए समामेलन आदेश के अनुसरण में नियंत्रक कंपनी मैसर्स आईबीएस साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड को एलओए दिनांक 16 अगस्त 2007 का हस्तांतरण करने की अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स आईबीएस साफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो आईटीपी एसईजेड-1 में सह विकासक है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

- i) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

12 सितंबर, 2018 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 84वीं बैठक का कार्यवृत्त

- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) सह विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

84.5 (xii) डिमर्जर तथा मैसर्स एस्पेन इनफ्रा पडुबिड्री प्राइवेट लिमिटेड (एआईपीपीएल) को मंजूरी पत्र के हस्तांतरण के लिए मैसर्स एस्पेन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो एस्पेन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

- i) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

मद संख्या 84.6 : विकासक / सह विकासक के क्षेत्रफल में वृद्धि (4 प्रस्ताव)

84.6 (i) सर्वे नंबर 285/पी, पुप्पलगुडा गांव, राजेन्द्र नगर मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए क्षेत्रफल में 3.14 हेक्टेयर की वृद्धि के लिए मैसर्स फिनिक्स स्पेस प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

84.6 (ii) क्षेत्रफल में 1.6596 हेक्टेयर की वृद्धि के लिए मैसर्स नालंदा शैल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड जो सर्वे नंबर 129/1, 130/1, 1311, 128/2, हिंजेवाड़ी, फेज 1, जिला पुणे में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने राज्य सरकार से अनापति प्रमाण पत्र के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

84.6 (iii) 1,15,020 वर्गफीट के अतिरिक्त क्षेत्रफल में विशेष रूप से बेयर शेल बिल्डिंग के वार्म शेल बिल्डिंग में परिवर्तन के अधिकृत प्रचालनों के संचालन तथा उपर्युक्त आईटी / आईटीईएस एसईजेड में निर्मित स्थान को पट्टा पर देने के लिए एसईजेड के विकास के लिए मान्यता एंबेसी बिजनेस पार्क एसईजेड, बंगलौर में सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स एएनएसआर ग्लोबल कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में इसका नाम नेटवर्क इनफार्मेशन ग्लोबल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड था), बंगलौर का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक और सह विकासक के बीच करार दिनांक 26 जून, 2018 के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली की मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र के लिए मैसर्स एएनएसआर ग्लोबल कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

84.6 (iv) क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स सिंजेन इंटरनेशनल लिमिटेड जो मंगलौर, कर्नाटक में मंगलौर एसईजेड लिमिटेड में सह विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक और सह विकासक के बीच प्रारूप करार के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली की मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स सिंजेन इंटरनेशनल लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की परंतु यह कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

मद संख्या 84.7 : विविध मामले (9 प्रस्ताव)

84.7 (i) सह विकासक द्वारा संचालित किए जाने वाले अधिकृत प्रचालनों के लिए जगन्नाथपुरम, लेमार्थी और ई-बोनांगी, विशाखापट्टनम जिला, आंध्र प्रदेश में फार्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स रामकी फार्मा सिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में सह विकासक मैसर्स बायोकान लिमिटेड का प्रस्ताव

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्तावित अधिकृत प्रचालनों जो वाणिज्य विभाग के अनुदेश संख्या 50 दिनांक 15 मार्च 2010 में निहित अधिकृत प्रचालनों की डिफाल्ट सूची में शामिल नहीं हैं, के लिए सह विकासक के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि अधिकृत प्रचालन केवल एसईजेड के प्रयोग के लिए उपलब्ध होगा।

84.7 (ii) मैसर्स डीएलएफ इनफो सिटी हैदराबाद लिमिटेड को अपने औपचारिक अनुमोदन के अंतरण के लिए मैसर्स डीएलएफ कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

- i) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

12 सितंबर, 2018 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 84वीं बैठक का कार्यवृत्त

- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, सम्मेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, सम्मेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

84.7 (iii) नहर से एसईजेड में होते हुए घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) तक वाटर पाइप लाइन बिछाने की अनुमति प्रदान करने के लिए ग्राम फुरसुंगी, तालुक हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र में मैसर्स मंजरी स्टड फार्म प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

84.7 (iv) गैर प्रसंस्करण क्षेत्र (पोर्ट एरिया) में सड़क के दोहरे प्रयोग के लिए मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड (डीएसएल) जो दाहेज एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने आवश्यक एहतियातों के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

84.7 (v) फेरो मैग्नीज स्लैग के आयात के लिए मैसर्स अभिजीत फेरो टेक लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने कोई डीटीए लेनदेन न होने के अधीन 50,000 मीट्रिक टन फेरो मैग्नीज के आयात के लिए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

84.7 (vi) एसईजेड भाग ए और एसईजेड भाग बी में एचबीएस फर्मा एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड जो आटोमोबाइल, आटोमोबाइल एंसिलरी एवं इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड है, का विभाजन

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि उनके प्रस्तावित विभाजन के अनुसरण में दो एसईजेड के बीच आनुपातिक आधार पर सभी कर देयताएं साझा की जाएंगी।

84.7(vii) एलओपी के नवीकरण के लिए प्लास्टिक के अपशिष्ट एवं स्क्रेप की रिसाइकलिंग का काम करने वाले मैसर्स अनीता एक्सपोर्ट्स जो कांडला एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने अग्रेतर विचार विमर्श के लिए मामले को आस्थगित कर दिया।

84.7 (viii) दाहेज एसईजेड जेड में मैसर्स श्रीकुंज हास्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में सह विकासक का दर्जा अनुमोदित करने के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने मामले के विवादित स्वरूप तथा माननीय गुजरात उच्च न्यायालय में मैसर्स कांबे एसईजेड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दाखिल किए गए विशेष सिविल आवेदन संख्या 10376/2018 के लंबित होने को नोट किया तथा

12 सितंबर, 2018 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 84वीं बैठक का कार्यवृत्त

कानूनी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए विवाद के ब्यौरों के साथ विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करने का निर्णय लिया।

84.7 (ix) 5.04 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एसईजेड के सेक्टर को बहु सेवा से बदलकर आईटी / आईटीईएस एसईजेड करने के लिए मैसर्स पर्सपीनिया डवलपर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 84.8 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील (14 अपीलें)

84.8 (i) विदेश व्यापार विकास एवं विनियमन अधिनियम 1992 की धारा 13 तथा उक्त अधिनियम की धारा 11 के तहत 45.21 लाख रुपए (45.21 करोड़ रुपए का धनात्मक एनएफई प्राप्त न करने का 1 प्रतिशत) का अर्थ दंड लगाने के लिए यूनित अनुमोदन समिति, एफएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक 13 अप्रैल 2018 के बीच मैसर्स कोस्टल एनर्जी लिमिटेड जो एफएसईजेड की यूनित है की अपील दिनांक 18 मई 2018

अनुमोदन बोर्ड ने अपीलकर्ता को सुना तथा अग्रेतर विचार विमर्श के लिए मामले को आरक्षित किया।

84.8 (ii) यूनित अनुमोदन समिति द्वारा आदेश दिनांक 2 मार्च 2012 के माध्यम से निरस्त किए गए एलओए की अवधि बढ़ाने / पुनः वैध करने की प्रार्थना के साथ कोस्टल एनर्जी लिमिटेड के निदेशक श्री बृजेश कुमार ठाकुर की अपील दिनांक 28 जून 2018

अनुमोदन बोर्ड ने अपीलकर्ता को सुना तथा अग्रेतर विचार विमर्श के लिए मामले को आरक्षित किया।

84.8 (iii) गाला नंबर 102 एवं 104, एसडीएफ 8, एसईईपीजेड एसईजेड के लिए एलओए को निरस्त करने के लिए एसईईपीजेड एसईजेड द्वारा पारित खंडन आदेश दिनांक 1 मई 2018 और 21 मई 2018 को अपास्त करने का अनुरोध करते हुए मैसर्स फ्लालेस ज्वैल्स की अपील

अनुमोदन बोर्ड ने अपीलकर्ता को सुना तथा अग्रेतर विचार विमर्श के लिए मामले को आरक्षित किया।

84.8 (iv) गाला नंबर 301, एसडीएफ 8, एसईईपीजेड एसईजेड के लिए एलओए को निरस्त करने के लिए एसईईपीजेड एसईजेड द्वारा पारित खंडन आदेश दिनांक 1 मई 2018 और 21 मई 2018 को अपास्त करने का अनुरोध करते हुए मैसर्स मलहार ज्वैल्स की अपील

अनुमोदन बोर्ड ने अपीलकर्ता को सुना तथा अग्रेतर विचार विमर्श के लिए मामले को आरक्षित किया।

84.8 (v) गाला नंबर 401, 402, 403 एवं 404, एसडीएफ 8, एसईईपीजेड एसईजेड के लिए एलओए को निरस्त करने के लिए एसईईपीजेड एसईजेड द्वारा पारित खंडन आदेश दिनांक 1 मई 2018 और 21 मई 2018 को अपास्त करने का अनुरोध करते हुए मैसर्स प्योर गोल्ड ज्वैल्स एंड डयमंड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की अपील

अनुमोदन बोर्ड ने अपीलकर्ता को सुना तथा अग्रेतर विचार विमर्श के लिए मामले को आरक्षित किया।

12 सितंबर, 2018 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 84वीं बैठक का कार्यवृत्त

84.8 (vi) गाला नंबर 202 एवं 204, एसडीएफ 8, एसईईपीजेड एसईजेड के लिए एलओए को निरस्त करने के लिए एसईईपीजेड एसईजेड द्वारा पारित खंडन आदेश दिनांक 1 मई 2018 और 21 मई 2018 को अपास्त करने का अनुरोध करते हुए मैसर्स विजय एक्सपोर्ट्स की अपील

अनुमोदन बोर्ड ने अपीलकर्ता को सुना तथा अग्रतर विचार विमर्श के लिए मामले को आरक्षित किया।

84.8 (vii) गाला नंबर 02, एसडीएफ 8, एसईईपीजेड एसईजेड के लिए एलओए को निरस्त करने के लिए निर्णय के संबंध में यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 2 मई 2018 के कार्यवृत्त तथा खंडन आदेश दिनांक 1 मई 2018 को अपास्त करने का अनुरोध करते हुए मैसर्स लिमिटेड ज्वैलरी की अपील

अनुमोदन बोर्ड ने अपीलकर्ता को सुना तथा अग्रतर विचार विमर्श के लिए मामले को आरक्षित किया।

84.8 (viii) आयातित पुराने एवं प्रयुक्त कपड़ों को अलग करने / पुनः प्रोसेस करने के लिए विनिर्माण यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के लिए यूनिट अनुमोदन समिति की 129वीं बैठक दिनांक 17 मई 2018 के निर्णय के विरुद्ध मैसर्स एप्पल टेक्सटाइल जो केएसईजेड की यूनिट है, की अपील दिनांक 21 जून 2018

अनुमोदन बोर्ड ने अपीलकर्ता को सुना तथा अपील को अस्वीकार कर दिया।

84.8 (ix) प्लास्टिक अपशिष्ट तथा आयातित पुराने एवं प्रयुक्त कपड़ों की वेयरहाउसिंग यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के लिए यूनिट अनुमोदन समिति की 131वीं बैठक दिनांक 10 जुलाई 2018 के निर्णय के विरुद्ध मैसर्स एप्पल इंडस्ट्री जो केएसईजेड की यूनिट है, की अपील दिनांक 17 जुलाई 2018

अनुमोदन बोर्ड ने अपीलकर्ता को सुना तथा अपील को अस्वीकार कर दिया।

84.8 (x) प्लास्टिक के प्री-प्रोसेस्ड एग्लोमरेट्स / ग्रैन्यूल के विनिर्माण एवं ट्रेडिंग के लिए यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के लिए यूनिट अनुमोदन समिति की 129वीं बैठक दिनांक 17 मई 2018 के निर्णय के विरुद्ध मैसर्स एप्पल एंटरप्राइजेज जो केएसईजेड की यूनिट है, की अपील दिनांक 21 जून 2018

अनुमोदन बोर्ड ने अपीलकर्ता को सुना तथा अपील को अस्वीकार कर दिया।

84.8 (xi) पेट बाटल अपशिष्ट से प्लास्टिक के प्री-प्रोसेस्ड क्रशिंग / ग्रैन्यूल के विनिर्माण के लिए यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के लिए यूनिट अनुमोदन समिति की 129वीं बैठक दिनांक 17 मई 2018 के निर्णय के विरुद्ध मैसर्स गुरुजी इंटरनेशनल जो केएसईजेड की यूनिट है, की अपील दिनांक 22 जून 2018

अपीलकर्ता अनुमोदन बोर्ड के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ इसलिए अपील आस्थगित कर दी गई।

84.8 (xii) (i) फिल्टर तंबाकू (ii) हुक्का तंबाकू पेस्ट (जुर्का) (iii) फ्लेवर्ड हुक्का तंबाकू (मोसेल) (iv) रेडीमेड खैनी (v) जाफरानी जर्दी (vi) स्पिट तंबाकू (vii) माउथ फ्रेशनर (viii) इशेंसियल एवं कैरियर ऑयल (ix) इंडिया इत्तर एवं फ्रैगरेंस और (x) एचएस कोड 2403 के तहत विभिन्न प्रकार के अरेका नट के निर्माण एवं निर्यात का कार्य करने के लिए एक नई यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए यूनिट अनुमोदन समिति के आदेश दिनांक 14 जून 2018 के विरुद्ध मैसर्स एमआरए फ्रैगरेंसेज प्राइवेट लिमिटेड जो एनएसईजेड की यूनिट है, की अपील दिनांक 16 जुलाई 2018

12 सितंबर, 2018 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 84वीं बैठक का कार्यवृत्त

अनुमोदन बोर्ड ने अपीलकर्ता को सुना तथा अग्रतर विचार विमर्श के लिए मामले को आरक्षित किया।

84.8 (xiii) रामानुजन आईटी सिटी कैंपस में विज्ञापन की गतिविधियों को अनुमत करने के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए विकास आयुक्त, एमईपीजेड के आदेश दिनांक 28 जून 2018 के विरुद्ध मैसर्स ट्रिल इनफोपार्क लिमिटेड की अपील दिनांक 3 अगस्त 2018

अनुमोदन बोर्ड ने अपीलकर्ता को सुना तथा अग्रतर विचार विमर्श के लिए मामले को आरक्षित किया।

84.8 (xiv) ब्राड बैंडिंग के तहत अतिरिक्त उत्पादों के निर्माण को शामिल करने के लिए एलओए में संशोधन के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए यूनिट अनुमोदन समिति के आदेश दिनांक 23 जुलाई 2018 के विरुद्ध मैसर्स रेन सीआईआई कार्बन (विजाग) लिमिटेड की अपील दिनांक 2 अगस्त 2018

अनुमोदन बोर्ड ने अपीलकर्ता को सुना तथा अग्रतर विचार विमर्श के लिए मामले को आरक्षित किया।

पूरक एजेंडा पर निर्णय

मद संख्या 84.9 : तीसरे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध (3 प्रस्ताव)

84.9 (i) तीसरे साल के बाद 24 जुलाई, 2018 से 23 जुलाई, 2019 तक अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स बंसल इंक जो मुरादाबाद एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 23जुलाई, 2019 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

84.9 (ii) चौथे साल के बाद 01 मार्च, 2020 तक अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स डोर्फ केटल केमिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो प्लॉट नंबर जेड/-108/, दाहेज एसईजेड लिमिटेड, भाग 2, दाहेज एसईजेड, तालुक वागरा, जिला भडूच, गुजरात की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 1मार्च, 2020 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

84.9 (iii) 24 जुलाई, 2018 के बाद 24 जुलाई, 2019 तक एक साल की अवधि के लिए मंजूरी पत्र की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स अरबिंदो फर्मा लिमिटेड जो एपीआईआईसी एमपी एसईजेड, नायडुपेटा, नेल्लोर एसईजेड की यूनिट, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 24जुलाई, 2019 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 84.10 : सह विकासक के लिए अनुरोध (3 प्रस्ताव)

84.10 (i) अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने तथा अन्य प्रचालनों के लिए सर्वे नंबर 35 पी एवं 36, गचिबाउली गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में मैसर्स फिनिक्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के एसईजेड में सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स एक्सपीरियन हास्पिटलिटी हैदराबाद प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने तथा अन्य प्रचालनों के लिए मैसर्स एक्सपीरियन हास्पिटलिटी हैदराबाद प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की परंतु यह कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

84.10 (ii) त्रिपक्षीय सह विकासक करार दिनांक 14 अगस्त 2018 के तहत संविदा के अनुसार अधिकृत प्रचालन के रूप में भवनों तथा अन्य अवसंरचना सुविधाओं के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी पार्क केरल (टेकनोपार्क) एसईजेड में सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स एंबेसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में त्रिपक्षीय सह विकासक करार के तहत संविदा के अनुसार एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन 10 एकड़ के क्षेत्रफल में अधिकृत प्रचालन के रूप में भवनों तथा अन्य अवसंरचना सुविधाओं के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए मैसर्स एंबेसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

84.10 (iii) अर्शिया एफटीडब्ल्यूजेड, एसईजेड में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर (आईटीईएस सहित) के लिए अतिरिक्त क्षेत्र तथा एफटीडब्ल्यूजेड के दोनों क्षेत्रों में यूटिलिटीज (विद्युत एवं जल आपूर्ति) के वितरण के लिए सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स लक्ष्मीपति बालाजी सप्लाइ चैन मैनेजमेंट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए एफटीडब्ल्यूबी के दोनों क्षेत्रों तथा अतिरिक्त क्षेत्र में यूटिलिटीज (बिजली एवं पानी की आपूर्ति) के वितरण के लिए मैसर्स लक्ष्मीपति बालाजी सप्लाइ चैन मैनेजमेंट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की कि नवीकरणीय पट्टा की परंतु यह नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

मद संख्या 84.11 : एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रस्ताव (एक प्रस्ताव)

84.11 (i) ग्राम वघोली एवं खराडी, पुणे, महाराष्ट्र में 6.69 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स एआईजीपी डवलपर्स (पुणे) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम वघोली एवं खराडी, पुणे, महाराष्ट्र में 6.69 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 84.12 : शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन / नाम में परिवर्तन / विलय / डिमर्जर (2 प्रस्ताव)

84.12 (ii) एनसीएलटी द्वारा जारी किए गए समामेलन आदेश के अनुसरण में नियंत्रक कंपनी मैसर्स आईबीएस साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड को एलओए दिनांक 21 जुलाई 2008 का हस्तांतरण करने की अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स आईबीएस साफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो इनफोपार्क एसईजेड-1 में सह विकासक है, का अनुरोध

12 सितंबर, 2018 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 84वीं बैठक का कार्यवृत्त

अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

- i) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियाँ एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

मद संख्या 84.13 : विविध मामले (एक प्रस्ताव)

84.13 (i) मैसर्स सार्थक वेयर हाउसिंग एवं ट्रेडिंग कंपनी (एसडब्ल्यूटीसी), गांधीधाम के एलओए को बहाल करना

अनुमोदन बोर्ड ने अग्रतर विचार विमर्श के लिए मामले को आस्थगित कर दिया।

मद संख्या 84.14 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील (एक अपील)

84.14 (i) 79241 वर्गफीट के अनुमोदित अतिरिक्त क्षेत्रफल में से 9500 वर्गफीट के क्षेत्रफल में कैफेटीरिया के लिए आवेदन दिनांक 26 जून 2018 को अस्वीकार करने के लिए यूनिट अनुमोदन समिति के आदेश दिनांक 6 अगस्त 2018 के विरुद्ध मैसर्स असेंजर सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की अपील दिनांक 22 अगस्त 2018

अनुमोदन बोर्ड ने अग्रतर विचार विमर्श के लिए मामले को आस्थगित कर दिया।
